रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2006/श्रावण 3, 1928
No. 167] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2006/SRAVANA 3, 1928

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2006

फा. सं. 20012/10/2003-बी सी सी.—भारत सरकार ने दिनांक 3 मार्च, 2005 की राजपत्र अधिसूचना सं. 20012/10/2003-बी सी सी के तहत, विद्यमान आरक्षण नीति के अंतर्गत न आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग को जारी रखने का संकल्प किया है। आयोग इस विषय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य आयोगों के विचार प्राप्त करेगा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु मापदण्ड सुझाएगा, राष्ट्रीय, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के परामर्श से कल्याणकारी उपाय एवं शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण की मात्रा की सिफारिश करेगा एवं अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संवैधानिक, विधिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सुझाव देगा। अत: भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव के रूप में 6 माह की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करती है :

(i) मेजर जनरल (सेवा-निवृत्त) एस. आर. सिन्हो – अध्यक्ष

(ii) श्री नरेन्द्र कुमार – सदस्य

(iii) श्री महेन्द्र सिंह, (सेवा-निवृत्त) भा. प्र. से. – सदस्य-सचिव

2. **उपर्युक्त नियुक्तियों की निबंधन और शर्तें** .– आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को 45,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वे भारत सरकार के सचिव को ग्राह्य मकान किराया भत्ता, टी. ए., चिकित्सा और टेलिफोन सुविधाओं इत्यादि के लिए हकदार होंगे। यदि अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य-सचिव के पास पहले से ही सरकारी आवास है तो उक्त आवास को धारित करने की अनुमति दी जा सकती है। वे अपने 6 माह के कार्यकाल में अधिकतम 12 दिन की छुट्टियाँ ले सकते हैं। वे यथा अपेक्षित टैक्सियों का सहारा ले सकते हैं। उन्हें कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। आयोग में कार्यभार ग्रहण करने और कार्यभार त्याग के पश्चात् कोई यात्रा-भत्ता नहीं दिया जाएगा।

3. सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कोई कारण बताए बिना हटाया जा सकता है।

डॉ. अरविंद प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2006

F.No. 20012/10/2003-BCC.—The Government of India has resolved to continue the Commission for Economically Backward Classes not covered under the existing Reservation Policy *vide* Gazette Notification No. 20012/10/2003-BCC, dated the 3rd March, 2005. The Commission would elicit the views of the State Governments/Union Territories and other Commissions on the subject, suggest criteria for identification of economically backward classes, recommend the welfare measures and quantum of reservation in education and Government Employment in consultation with the National Commission for Religious and Linguistic Minorities and suggest the necessary Constitutional, Legal and Administrative Modalities as required for the implementation of their recommendations. Therefore, the Government of India hereby appoints the following persons as Chairperson, Member and Member-Secretary of Commission for a period of six months or until further orders, whichever is earlier:

(i) Major Gen. (Retd.) S.R. Sinho — Chairperson
(ii) Shri Narendra Kumar — Member
(iii) Shri Mahendra Singh (Retd.) IAS — Member-Secretary

2. **The Terms and Conditions of the above appointments.**—The Chairperson and Member of the Commission shall be paid an honorarium of Rs. 45,000 per month. They shall be entitled for HRA, TA, medical and telephone facilities etc. as admissible to a Secretary to the Government of India. In case, the Chairperson/Member/Member-Secretary are already occupying Government accommodation, they may be allowed to retain the same. They can avail of maximum of 12 days leave during their tenure of 6 months. They can avail of taxis as required. They shall not be entitled for any other facility. No TA shall be provided at the time of joining the Commission and after the relinquishing of charge.

3. The Government can remove the Chairperson and Members of the Commission without any reason.

Dr. ARBIND PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.